

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचन्द निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

— वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 773 / 2025

जीसीएमएस नं० 2025/1506


आदेश

दिनांक 26/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नयाबास तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या क्रमशः 30 एवं 31 में वादी का गलत दर्ज नाम क्रमशः "ताराचन्द, प्रेम पुत्र/पुत्री रामसिंह" एवं "ताराचन्द, प्रेम, रामकरण पुत्र/पुत्री रामसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "ताराचन्द, प्रेम, रामकरण पुत्र/पुत्री रामसिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचन्द निवासी नयाबास तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 723 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरु मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम नयाबास तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या कमशः 30 एवं 31 में वादी का गलत दर्ज नाम कमशः "ताराचन्द, प्रेम पुत्र/पुत्री रामसिंह" एवं "ताराचन्द, प्रेम, रामकरण पुत्र/पुत्री रामसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "ताराचन्द, प्रेम, रामकरण पुत्र/पुत्री रामसिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय
सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 11 सन् 2025 को जारी की
गई।

मुहर



दस्तखत.....
राजवीर सिंह यादव
ओहदी.....
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्ई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान

चाहिए।

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना